आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या–सी0आर0एम0–33/13–14

भोला ठाकुर

बनाम

सरकार

आदेश

07.04.2015

यह अपील वाद भोला ठाकुर ग्राम पंचायत राज मधुआ प्रखंड–मधुबनी थाना–धनहा जिला–पश्चिम चम्पारण जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी बगहा के आदेश ज्ञापांक 27, दिनांक 03.02.2014 के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसके तहत अपीलकर्ता के जनवितरण प्रणाली की दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या–32/07 को तत्कालिक प्रभाव से रदद् कर दिया गया है।

अपील आवेदन पत्र के आलोक में अनुमंडल कार्यालय बगहा से अभिलेख की मांग की गयी। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विशेष जांच अभियान के क्रम में अंचल अधिकारी, बगहा–1 द्वारा दिनांक 03.12.2013 को 2.55 बजे अपराह्न में विक्रेता के दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्न प्रकार अनियमितता पायी गयी :–

1. विक्रेता दुकान से अनुपस्थित पाये गये।
2. विक्रेता दुकान से सम्बद्ध बी0पी0एल0 उपभोक्ता श्री राजेश बैठा पिता–श्री निर्मल बैठा कूपन संख्या–0139107, श्री मजिस्टर बैठा पिता–श्री गुमानी बैठा कूपन संख्या–0139101, एवं प्रदुमन बैठा पिता–श्री बलिस्टर बैठा कूपन संख्या–0139046 द्वारा बयान दिया गया है कि 10कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 12कि0ग्रा0 चावल 150.00 रूपयें प्राप्त कर आपूर्ति की जाती है, जो निर्धारित मात्रा से 03कि0ग्रा0 कम एवं निर्धारित दर से 16.00रूपयें अधिक राशि वसूल की जाती है। किरासन तेल भी 2.

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

500 लिटर 48.00रूपयें में दिया जाता है, जो निर्धारित मात्रा से 250ग्राम कम दिया जाता है।

3. विक्रेता की दुकान से सम्बद्ध अन्त्योदय उपभोक्ता मु0 सिंहासनी पति–मोती बैठा, कूपन संख्या–0037684, श्री रामराज पासवान पिता–गणेश पासवान कूपन संख्या–0037755, श्री बदरी बैठा पिता–श्री ललन बैठा कूपन संख्या–0037822 एवं श्री रामप्रीत बीन पिता–सहदेव बीन कूपन संख्या–0037801 द्वारा बयान दिया गया है कि 12कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 20कि0ग्रा0 चावल 100.00 रूपयें में आपूर्ति की जाती है, जो निर्धारित मात्रा से 03कि0ग्रा0 कम एवं निर्धारित दर से 16.00रूपयें अधिक राशि वसूल की जाती है। किरासन तेल भी 2.500 लिटर 48.00 रूपयें में दिया जाता है।, जो निर्धारित मात्रा से 250ग्रा0 कम है।

उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के ज्ञापांक 456/आ0, दिनांक 31.12.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। मांगे गये स्पष्टीकरण के क्रम में विक्रेता द्वारा निम्न प्रकार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है :–

1. यह आरोप है कि आप दूकान पर उपस्थित नही पाये गये, इस आरोप के संबंध में उनका कहना है कि वे अपना ईलाज कराने चले गये थे, जिसे उन्होने सूचनापट्ट पर लिख दिया था जिस कारण वे दिनांक 03.12.2013 को दूकान पर उपस्थित नही थे।
2. यह आरोप है कि आपके दूकान से संबंधित वी0पी0एल0 उपभोक्ता को 10कि0ग्रा0 गेहूँ एवं 12कि0ग्रा0 चावल 150.00 रूपयें में देते है तथा 2.500 लिटर किरासन तेल 48.00 रूपयें मे देते है। इस आरोप के संबधं में उनका कहना है कि वे सरकार के नियमानुकूल वी0पी0एल0 राशन 25कि0ग्रा0 155.00रूपयें में उपभोक्ताओं को देते है तथा 2.750 लिटर

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

किरासन तेल 45.00 रूपयें में देते है। ये सभी उपभोक्ता जो बयान दिये है, वे स्वयं सामान नही ले जाते है, उनके घर की औरत और बच्चे ही सामान का उठाव करते है, जिस कारण इन लोगों का जानकारी नही रहने के कारण इन लोगो ने इस तरह का बयान दिया है।

3. यह आरोप है कि अन्त्योदय उपभोक्ताओं को 12कि0ग्रा0 गेहूँ 20कि0ग्रा0 चावल कुल–32कि0ग्रा0 100.00 में देते है, तथा 2.500 लिटर किरासन तेल 48.00रूपयें में देते है। इसके संबंध में उनका कहना है कि यह आरोप सरासर गलत है। वे प्रत्येक उपभोक्ता को 14कि0ग्रा0 गेहूँ 21कि0ग्रा0 चावल कुल–35कि0ग्रा0 तथा 2.750 लिटर किरासन तेल कुल–140.00 रूपयें लेते है। जिसका साबुत तौर पर निगरानी समिति के अध्यक्ष, मुखियाजी के देखरेख में वितरण करते है। और उनके द्वारा सख्त निदेश दिया गया है कि सही वजन एवं सही दाम ही लें और उनके निदेशो का वे पालन करते आ रहे है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। उपरोक्त विवेचित तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध संबंधित कागजातों के अवलोकन तथा गहन विवेचना से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी का प्रतिवेदन/आदेश एवं बिक्रेता द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में कोई मेल नही हैं। ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित बिन्दुओं की पुनः जांच करायी जानी चाहिए थी। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश ज्ञापांक 27, दिनांक 03.02.2014 को निरस्त करते हुए इस मामले को पुनः जांच कराकर नियमानुसार यथोचित आदेश पारित करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा को वापस किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
07/4/15

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया
07/4/15